

**न्यायालय:-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-712/2015
संस्थित दिनांक-03.08.2015
फाइलिंग नं.-234503008042015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1-रामप्रसाद धुर्वे पिता नैनसिंह धुर्वे, उम्र-25 साल, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम जगला, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-जीवन पिता अगनूसिंह परते, उम्र-26 साल, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम टिंगाटोला, थाना बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-18/01/2017 को घोषित)

1- आरोपी रामप्रसाद धुर्वे के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 128/177 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-07.07.2015 को दोपहर 2:30 से 3.00 बजे के मध्य, थाना बिरसा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बाधाटोला जगला अमराई में लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल एच.एफ. डिलक्स क्रमांक-सी.जी-04/डी.के-1914 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस के चलाया, उक्त वाहन को बिना बीमा कराए चलाया, उक्त वाहन पर वाहन चालक के अतिरिक्त एक से अधिक सवारी को बैठाया तथा आरोपी जीवन के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 के तहत आरोप है कि उसने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने वाहन को बिना वैध लायसेंस वाले व्यक्ति से चलवाया, अपने वाहन को बिना बीमा करवाए चलवाया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ गुलचंद दोहरे को रोजनामचा सान्हा क्रमांक-266 दिनांक-06.07.2015 में बिरसा अस्पताल से लिखित तहरीर जांच हेतु प्राप्त हुई कि ग्राम जगला तरफ से मोटरसाईकिल का चालक वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर आया और मण्डई की ओर से आ रही मोटरसाईकिल सी.डी-100 क्रमांक-सी.जी-04/सी.एफ-4049

को टक्कर मार दी, जिससे चालक गजेन्द्र के हाथ, पैर, सीने, कमर पर चोट आई। मोटरसाईकिल वाहन चालक रामप्रसाद धुर्वे चला रहा था। उपरोक्त आधार पर आरोपी रामप्रसाद के विरुद्ध अपराध क्रमांक-71/2015, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-184 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त वाहन को जप्त किया। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 128/177 तथा वाहन मालिक आरोपी जीवन के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180 का ईजाफा किया गया, तत्पश्चात् आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी रामप्रसाद धुर्वे के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 128/177 के अपराध के अंतर्गत तथा आरोपी जीवन के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत गजेन्द्र ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया है। अतः आरोपी रामप्रसाद धुर्वे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा शेष भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 128/177 का एवं आरोपी जीवन के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 अपराध शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी रामप्रसाद ने दिनांक-07.07.2015 को दोपहर 2:30 से 3.00 बजे के मध्य, थाना बिरसा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बाधाटोला जगला अमराई लोकमार्ग में मोटरसाईकिल एच.एफ. डिलक्स क्रमांक-सी.जी-04/डी. के-1914 को को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी रामप्रसाद ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस के चलाया, उक्त वाहन को बिना बीमा कराए चलाया ?
3. क्या आरोपी रामप्रसाद ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा कराए चलाया ?

4. क्या आरोपी रामप्रसाद ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन पर वाहन चालक के अतिरिक्त एक से अधिक सवारी को बैठाया ?
5. क्या आरोपी जीवन ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने वाहन को बिना वैध लायसेंस वाले व्यक्ति से चलवाया ?
6. क्या आरोपी जीवन ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने वाहन को बिना बीमा करवाए चलवाया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी गजेन्द्र अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके बयान देने के डेढ़ वर्ष पूर्व की है। वह अपनी मोटरसाईकिल से देवरीमेटा से जगला की ओर जा रहा था तभी उसकी मोटरसाईकिल बांधाटोला में फिसलकर गिर गई थी, जिससे उसे हाथ, कमर, पसली में चोटें आई थी। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-1 नहीं बनाया था, परंतु प्रदर्श पी-1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष मोटरसाईकिल जप्त नहीं की थी, किन्तु प्रदर्श पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक-07.07.2015 को आरोपी रामप्रसाद ने तेज गति एवं उतावलेपन से वाहन क्रमांक-सी.जी-04/डी.के-1914 को चलाकर उसकी मोटरसाईकिल को टक्कर मारी थी। साक्षी ने कहा है कि उपरोक्त संबंध में पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 उसने पुलिस को नहीं लेख कराया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-1, 2 व 3 पर उसने हस्ताक्षर किये थे, तब वे कोरे थे।

6— अभियोजन साक्षी मीनाबाई अ.सा.2 ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना उसके बयान देने के लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व की है। वह घटना के समय वह घर के अंदर थी। वह नहीं बता सकती कि घटना किसकी गलती से हुई थी, क्योंकि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया कि घटना के समय वह घर के सामने खड़ी थी, तभी आरोपी मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी-04/डी.के-1914 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसने दूसरी मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी-04/सी.एफ-4049 को टक्कर मारी थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि दुष्टिना कारित करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम रामप्रसाद पिता नैनसिंह धुर्वे बताया था। साक्षी ने अपना पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 पुलिस को लेख कराने से इंकार किया।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि गांव के पास-पड़ोस में रहने के कारण पहचानती है।

7— प्रकरण में फरियादी गजेन्द्र अ.सा.1 ने यह कहा है कि वह अपनी मोटरसाईकिल से ग्राम देवरीमेटा से जगला जा रहा था, तभी मोटरसाईकिल फिसल गई थी, जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी ने स्पष्टतः इंकार किया कि आरोपी रामप्रसाद धुर्वे ने उतावलेपन से वाहन चलाकर उसे टक्कर मारी थी। अभियोजन साक्षी मीनाबाई अ.सा.2 जो प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी है ने कहा है कि घटना के समय वह घर के अंदर थी और उसने घटना होते हुए नहीं देखी। ऐसी स्थिति में आरोपी रामप्रसाद धुर्वे ने वाहन क्रमांक—सी.जी-04/डी.के-1914 को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया हो यह प्रमाणित नहीं हो रहा है। उपरोक्त स्थिति में आरोपी रामप्रसाद धुर्वे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अन्तर्गत अपराध किया जाना सन्देह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। अतएव आरोपी रामप्रसाद धुर्वे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2,3,4 का निष्कर्ष :-

8— आरोपी रामप्रसाद धुर्वे पर मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 128/177 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी रामप्रसाद धुर्वे ने वाहन क्रमांक—सी.जी-04/डी.के-1914 को बिना वैध लायसेंस एवं बिना बीमा व वाहन चालक के अतिरिक्त एक से अधिक सवारी बैठाकर चलाए जाने के कारण अभियोजित किया गया है। आरोपी जीवन पर मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180 एवं 146/196 के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है कि उसने अपने आधिपत्य व स्वत्व के वाहन क्रमांक—सी.जी-04/डी.के-1914 को ऐसे व्यक्ति से चलवाया जिसके पास वैध लायसेंस नहीं था और वाहन का बीमा भी नहीं था। प्रकरण में फरियादी गजेन्द्र अ.सा.1 ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी रामप्रसाद ने वाहन क्रमांक—सी.जी-04/डी.के-1914 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाया था, जिससे दुर्घटना हुई थी। साक्षी मीनाबाई अ.सा.2 ने यह कहा है कि घटना के समय वह घर के अंदर थी। उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि वाहन क्रमांक—सी.जी-04/डी.के-1914 को आरोपी ने उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाया था। उपरोक्त साक्षियों के कथन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि वाहन क्रमांक—सी.जी-04/डी.के-1914 को आरोपी रामप्रसाद धुर्वे ने दुर्घटना दिनांक को चलाया था। ऐसी स्थिति में आरोपी रामप्रसाद धुर्वे को मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 एवं 128/177 के अंतर्गत अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-5 व 6 का निष्कर्ष :-

9— विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 लगायत 4 के निष्कर्ष में यह नहीं प्रमाणित पाया गया है कि आरोपी रामप्रसाद धुर्वे ने घटना दिनांक को वाहन क्रमांक-सी.जी-04/डी.के-1914 को उपेक्षापूर्वक उतावलेपन से चलाया, जिसको चलाने के लिए उसके पास अनुज्ञप्ति नहीं थी अथवा उपरोक्त वाहन का बीमा नहीं था। वाहन क्रमांक-सी.जी-04/डी.के-1914 का पंजीकृत स्वामी आरोपी जीवन है, इसलिए यह भी नहीं प्रमाणित पाया जा सकता कि आरोपी जीवन ने अपने नाम पर पंजीकृत वाहन को किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए दिया, जिसके पास वाहन चालक की अनुज्ञप्ति नहीं थी और न ही उस वाहन का बीमा था। ऐसी स्थिति आरोपी जीवन को मोटरयान अधिनियम की धारा-5/180 एवं 146/196 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

10— प्रकरण में आरोपीगण अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर संलग्न किया जावे।

11— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

12— प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्रमांक-सी.जी-04/डी.के-1914 मय दस्तावेजों के सुपुर्ददार जीवनसिंह परते पिता अगनुसिंह परते, उम्र-23 साल, जाति गोंड, निवासी ग्राम टिंगाटोला (मण्डई), थाना बिरसा, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है, जो अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझी जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

**निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।**

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट